संख्या-38/2015/347 सी0डी0/46-3-15-15(39)/2012

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 01 जुलाई, 2015

विषयः- वेतन समिति(2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में गन्ना आयुक्त अधिष्ठान में आशुलिपिक संवर्ग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति(2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में निर्गत वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0 आ0-2-2053/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 द्वारा संसूचित सामान्य निर्णय के क्रम में गन्ना आयुक्त अधिष्ठान के आशुलिपिक संवर्ग के, इस शासनादेश के साथ **संलग्न तालिका-1** के स्तम्भ-2, 3 एवं 5 में उल्लिखित क्रमशः पदों के पदनाम, पदों की संख्या, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के स्थान पर, इस शासनादेश के साथ **संलग्न तालिका-2** के स्तम्भ-2 के अनुसार पदों के पदनाम, स्तम्भ-3 व 4 के अनुसार क्रमशः वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, स्तम्भ-5 के अनुसार पदों की संख्या तथा स्तम्भ-6 के अनुसार भर्ती की विधि/अर्हता को, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से, संशोधित/प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप आशुलिपिक संवर्ग के उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने पर सम्बन्धित पदधारकों का वेतन शासनादेश संख्या-वे0आ0-2841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-494/दस-2015, दिनांक 26 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 38/2015/347(1) सी0डी0/46-3-15-15(39)/2012-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ

3-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4-निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

5-वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2

6-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6

7-वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)

8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-38/2015/347 सी0डी0/46-3-15-15(39)/2012, दि0 01 जुलाई, 2015 का संलग्नक

तालिका-1

गन्ना आयुक्त अधिष्ठान में आशुलिपिक संवर्ग के वर्तमान संरचना/पदों का विवरण।

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	दिनांक 01.01.1996 से लागू वेतनमान (रू0)	दिनांक 01.01.2006 से लागू वेतनमान	
				वेतन बैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)
1	2	3	4	5	
1	आशुलिपिक-2	11	4000-6000	5200-20200	2400
2	आशुलिपिक-।	03	5000-8000	9300-34800	4200
3	आशुलिपिक	03	5500-9000	9300-34800	4200
4	वैयक्तिक सहायक	01	6500-10500	9300-34800	4600
	कुल संख्या-	18			

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-38/2015/347 सी0डी0/46-3-15-15(39)/2012, दि0 01 जुलाई, 2015 का संलग्नक

तालिका-2

गन्ना आयुक्त अधिष्ठान में आशुलिपिक संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप संरचना/पदों का विवरण।

क्र0 सं0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन(रू0)		पदों की संख्या	शैक्षिक अर्हता / भर्ती की प्रक्रिया
		वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन		
1	2	3	4	5	6
1	आशुलिपिक	5200-20200	2800	09	संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का पद होगा। इस पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हताः- इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपि में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से संबंधित ज्ञान (डी0ओ0ई0ए0सी0सी0(DOEACC) द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना) अनिवार्य अर्हता होगी।
2	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9300-34800	4200	06	इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम् 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले आशुलिपिक पदधारकों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	9300-34800	4600	03	इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओं को जोड़ते हुए न्यूनतम 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले ऐसे वैयक्तिक सहायक ग्रेड -2 के पदधारकों, जिनके द्वारा इस रूप में न्यूनतम् 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
			कुल संख्या	18	

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in